न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, सिवान

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–463/2026

बड़हरिया थाना कांड सं0–475/2025 से उत्पन्न

अंतर्गत धारा–126(2),115(2),118(1),117(2),109,352,351(2),3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(va)अनु.जा.ज.जा. अधिनियम

(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

आकाश कुमार ..... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

बिहार राज्य द्वारा लोक अभियोजक ..... विपक्षी

उपस्थितः–श्री अभय कुमार पाण्डेय, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक/अभियुक्त की ओर से
श्री भागवत राम, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से

आ–दे–श

30.03.2026

आवेदक/अभियुक्त आकाश कुमार की ओर से बड़हरिया थाना कांड संख्या 475/2025, अंतर्गत धारा–126(2),115(2),118(1),117(2),109,352,351(2),3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(va) अनु.जा.ज.जा. अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत आवेदन धारा 438 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन संचालित किया गया। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस को सुना गया।

संक्षेप में, मुन्ना चौधरी के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर अभियोजन कथानक यह है कि सूचक का भाई दिनांक 07.09.2025 को समय करीब 05:00 बजे शाम में कैल टोला स्थित अपने होटल पर था, उसी समय होटल के बगल में नाजायज तरीका से डीजल–पेट्रोल को गुमटी में रखकर बेचने वाला आकाश कुमार, धनंजय कुमार उर्फ गोलू कुमार बेवजह उसके भाई को जाति सूचक गाली पासी नीच जात कहा और बोले कि उसके डीजल–पेट्रोल बेचने का शिकायत करता है। सूचक के भाई को बोले कि उसको होटल में जान मार कर जिंदा जला देंगे। सूचक उस वक्त अपने भाई उमेश के होटल में बैठा था। उसका भाई गाली देने से मना कर रहा था। इसी बीच आकाश की माता रामावती देवी दो अज्ञात व्यक्ति, जो अपने–अपने हाथ में पिस्टल लिये थे, के साथ वहॉ आ गई तथा जाति सूचक गंदा–गंदा गाली देते हुए बोली कि नीच जात पासी का मन गढ़ गया है। इस पर आकाश कुमार कुदाल के पास से जान मारने की नियत से उसके भाई उमेश के सिर पर मारकर जख्मी कर दिया। सूचक का भाई का सिर फट गया वह जमीन पर गिर गया। तब जान मारने की नियत से उसके भाई को लाठी डंडा से रामावती देवी एवं धनंजय कुमार उर्फ गोलू कुमार मारने लगे। सूचक बचाने का प्रयास करता रहा। उसे भी लात से मारपीट किये हल्ला पर ग्रामीण लोग जुट गये तथा उसके जख्मी भाई की हालत देखकर इनलोगों को पकड़ने का प्रयास किये। किंतु अभियुक्तगण भाग गये। उसके बाद सूचक के जख्मी भाई को बड़हरिया प्राथमिक स्वास्थ केंद्र लाएं जहॉ डॉक्टर के द्वारा सिवान सदर अस्पताल रेफर कर दिया। वहॉ से डॉक्टर द्वारा जख्म को देखते हुए गोरखपुर अस्पताल में रेफर कर दिया गया।

लगातार
30.03.2026

आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदनपूर्वक बहस किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसे स्थानीय ग्रामीण राजनीति के कारण झूठे मुकद्मे में फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त स्वच्छ छवि का व्यक्ति है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह भी कथन है कि जैसा आरोप लगाया गया है वैसी कोई घटना नहीं हुई है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त स्थल पर कोई घटना नहीं हुई है, बल्कि यह झूठा आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदनपूर्वक बहस किया गया कि प्राथमिकी छः दिनों के विलंब से दर्ज की गई है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदनपूर्वक कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से सूचक एवं उसके परिवार के विरूद्ध बड़हरिया थाना कांड सं0 497/2025 दर्ज कराया गया है। आवेदक/अभियुक्त के फरार होने तथा उनके द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है और न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जाएगा उसका वे लोग पालन करेंगे। अतः उनकी ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत निवेदन का विरोध किया गया और कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन अनु.जा.ज.जा. अधिनियम की धारा 18 एवं 18A से बाधित होने के कारण पोषणीय नहीं है।

उभय पक्षों के निवेदन के आलोक में अभिलेख अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत आपराधिक वाद बड़हरिया थाना कांड संख्या 475/2025, अंतर्गत धारा–126(2), 115(2),118(1), 117(2), 109, 352, 351(2),3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(va) अनु.जा.ज.जा. अधिनियम, आवेदक/अभियुक्त के द्वारा सूचक के भाई को जान से मारने की नियत से सिर पर मारकर जख्मी करने के अपराध कारित करने के लिए संस्थित किया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध कांड दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुसंधान के क्रम में अभियोजन साक्षियों ने अपने साक्ष्य के क्रम में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है (कांड दैनिकी की कंडिका 8,9,22,23,51 में वर्णित)। कांड दैनिकी की कंडिका 62 में जख्मी उमेश चौधरी के जख्म प्रतिवेदन में चिकित्सक द्वारा उसके सिर के चोट को गंभीर प्रकृति का बताया गया है। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी में आये साक्ष्य से आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध इस आपराधिक मामले में अन्य धाराओं के साथ–साथ अनु.जा.ज.जा. (अ.उ.) अधिनियम का प्रथम दृष्टया अभियोग आकर्षित होता है। ऐसी स्थिति में दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन अनु.जा.ज.जा. (अ.उ.) अधिनियम की धारा 18 एवं 18 A से बाधित होने के कारण पोषणीय नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक/अभियुक्त की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्याय संगत एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त आकाश कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित
ह0/–
(सुशील कुमार त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सिवान।